कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय(माध्यमिक) करौली

:: कार्यालय आदेश ::

निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य./ संस्था /एफ –। /12102 (200–बी)/सी.भ./बेसिक कम्प्यू.अनु./2022 दिनांक 03.04.2023 द्वारा ONLY COUNSELLING अंकित अभ्यर्थियों की केवल काउन्सलिंग करवाकर पदस्थापन आदेश आगामी आदेश के बाद जारी करने के निर्देश दिए गए थे। निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक– शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102(200–बी)/सी.भ./बेसिक कम्प्यू अनु/2022 दिनांक 19.05.2023 द्वारा संलग्न सूची में अंकित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा–2022 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु स्थानीय कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेबल–08 में प्रोवेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी)के रूप में 2 बर्ष के प्रोवेशन पर नियमानुसार देय मासिक नियत पारिश्रमिक 18500/–रूपये प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर आशार्थी द्वारा काउन्सलिग में उपस्थित रह कर दिये गये विकल्प के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाती है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोवेशनर ट्रेनी) की प्रोवेशन काल में फिक्स रेम्यूनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता,मकान किराया भत्ता,बोनस आदि देय नहीं होगा एवं इन्हें कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का नियमानुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार के निर्धारित कटौतियां की जावेंगी एवं उक्त अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जायेगा। नियुक्त कार्मिको को दिनांक **14.06.2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। नियत तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

संस्थाप्रधान आशार्थियों को कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित निर्देशों का अवलोकन कर अपेक्षित कार्यवाही करें –

1. अभ्यर्थी से संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचार की रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगें। पूर्व मे राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1) डी.ओ.पी./ए–II/95 दिनांक 8.04.2003 की पालना में दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र / अविवाहित होने की स्थिति में अविवाहित होने का शपथ पत्र एवं दहेज न लेने/ न देने का शपथ पत्र रू 50/– के नॉन ज्युडिशियल स्टॅाम्प पर कार्यग्रहण के समय प्राप्त करेंगे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों से उनका विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह,विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है,तो तत्सम्बन्धी आशय का 50 रूपये के नोन ज्यडिसियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संस्थाप्रधान प्राप्त करेंगे।
4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान कार्यग्रहण कराने से पूर्व मूल दस्तावेजो से करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पायी जाती है तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से यह 50 रूपये के नॉन ज्युडिशियल शपथ पत्र ले लें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनायें व दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं इनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 4.10.2013 के अनुसार धुम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे ।
7. अभ्यर्थी के आरक्षण संबंधी दस्तावेजो(एससी,एसटी,अपिजा, एमबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के प्रमाण पत्रों को जांच लेवें।
8. संस्थाप्रधान कार्यग्रहण कराने के उपरान्त इनकी प्रविष्टि शालादर्पण में इन्द्राज करावें।

संलग्न सूची–पृष्ठ संख्या–1

(भरत लाल मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक करौली

क्रमांक –जिशिअ/मुख्यालय/माशि/करौली/संस्था–।/फा.नियु.बेसिक.कम्प्यू.अनु./2023/29 दिनांक–24.05.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1–शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2–संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान सचिवालय जयपुर।
3–सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ।
4–निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5– संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर।
6– मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी करौली।
7– संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8–संबंधित पीईईओ / संस्थाप्रधान।
9–सबंधित अभ्यर्थी श्री..............................
10–रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक करौली

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक करौली

क्रमांक –जिशिअ/मुख्यालय/माशि/करौली/संस्था–।/फा.नियु.बेसिक.कम्प्यू.अनु./2023/29

दिनांक 24–05–2023

S. NO.	MERIT NO.	NAME	F.NAME	DOB	SEL_CAT	OWN_CAT	Address	Posting Place	PHOTO
1	315	FALSINGH	SHIMBHU DAYAL GURJAR	20-Oct-99	GEN	MBC	VILL-DUGHATI POST-BAJHEDA TEH-HINDAUN CITY KARAULI pincode 322234 Rajasthan	**GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAJHEDA (212528)(08090204012)**	

(भरत लाल मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक करौली